दूरभाष : (0135)–2627612, फैक्स : (0135)–2627950
ई–मेल : dfodoon@gmail.com

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 859 /12–1 देहरादून, दिनांक 03 सितम्बर, 2021.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नाहींकलां तक मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/Road/37612/2018)

सन्दर्भः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्याय, देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/88/20/एफ0सी0/2531 दि0 26.03.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रस्ताव पर सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों के क्रम में इस कार्यालय व प्रस्तावक विभाग के स्तर पर निराकरण कर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–402/1 सी0 दिनांक 31–08–2021 **(सलंग्न)** के द्वारा मय अभिलेखों के सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित आपत्तियों का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्न प्रकार दर्शित है :–

	आपत्ति का विवरण	प्रत्युत्तर
1	In reply to point no. 1. Following observations noticed in respect of muck disposal:-	
(a)	Nodal Officer submitted that complete 4.463 ha area in Non-forest Land selected for muck disposal which does not appear correct because as per bar chart some alignment of road is also proposed in non forest area. Further as per muck disposal plan 1.7549 ha area selected for muck disposal. State Government may submit details and clarification in this regard.	प्रस्तावित मार्ग हेतु 3.238 है0 वन भूमि तथा 4.463 है0 नाप भूमि पड़ रही है, मक डिस्पोजल प्लान को संशोधित करते हुए वर्तमान में 1.925 है0 नाप भूमि का चयन किया गया है, जो परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया है।
(b)	Swell factor still not including in much disposal plan. State Government may include the swell factor in the muck disposal plan.	संशोधित 1.925 है0 नाप भूमि में मक डिस्पोजल प्रस्तावित है, जिसमें स्वैल फैक्टर 40 प्रतिशत को उक्त मक डिस्पोजल प्लान में सम्मिलित कर दिया गया है।
(c)	It is seen that 7 muck dumping site selected in Non- forest Land and the area & carrying capacity of all seven sites are same i.e. 0.2507 ha & 13790 cum which is highly improbable. State Government may submit clarification in	वर्तमान में मक डिस्पोजल हेतु नाप भूमि में 4 डम्पिंग साईड यथा 0.490 है0, 0.470 है0, 0.490 है0 तथा 0.475 है0 कुल 1.925 है0 नाप भूमि का चयन किया गया है।

	this regard.	
(d)	State Government may Mark the location of all muck dumping site in KML file and upload the same at Para C (ii) (b) in part I online.	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मक डम्पिंक साईड की लोकेशन को के0एम0एल0 फाइल पर दर्शाते हुए उक्त को परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में पैरा–C (b) पर अपलोड कर दिया गया है।
(e)	State government is requested to submit detailed muck disposal plan based on scientific Study duly authenticated by DFO.	संशोधित मक डिस्पोजल प्लान को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया, जिसको परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया है।
(ii)	In reply to point no. 2. State Government is again requested to restrict the road up to point no. 35.	इस सम्बन्ध में संज्ञानार्थ है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग पूर्व निर्मित सूर्यधार सनगांव मोटर मार्ग किमी0 6.00 से प्रारम्भ होकर ग्राम सनगांव को जोड़ते हुए सिंधवाल गांव नाहींकला, बड़कोट, कोटला तोक को जोड़ता है। डिजिटल मैप के क्रम सं0–35 से आगे प्रस्तावित संरेखण नाहीकलां, कोटला तोक तथा बड़कोट तोक तक जा रहा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 84 है। उक्त ग्राम, ग्राम पंचायत नाहीकलां के अन्तर्गत आता है, नहींकलां ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी है, जिस पर आवागमन होना बहुत जरूरी है इस गांव के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि क्र0सं0–35 से आगे 52 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। कोटला तोक व बड़कोट तोक के लोग मार्ग निर्माण हो जाने से ग्राम पंचायत नाहींकलां तक अपने बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा के लिए सुगमता से पहुंच पायेंगे। इस सम्बन्ध में संशोधित प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकनार्थ संलग्न है।
(iii)	In reply to point no. 3 Following observations are notices:-	
(a)	In reply to point no.4 of EDS dated 13-08-2020. It is submitted That no alternate possible and more tree affecting in alternated. State Government is again requested to upload the details of same at Para D (ii)a in Part I and submit the comparative chart duly authenticated by DFO.	प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया गया। वैकल्पिक संरेखणों पर अत्यधिक वन भूमि व अधिक से अधिक वृक्षों का पातन होना निहित था, जिससे स्थानीय जनता द्वारा भी उक्त वैकल्पिक संरेखणों पर आक्रोश व्यक्त किया गया, फलस्वरूप वर्तमान में प्रस्तावित संरेखण को ही

		उक्त परियोजना हेतु उपयुक्त पाया गया। इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड किया गया है।
(b)	In reply to point no. 10 of EDS dated 13-08-2020. Road distance found uploaded instead of aerial distance. State Government may uploaded the aerial distance certificate.	उक्त आपत्ति के क्रम में प्रश्नगत परियोजना क्षेत्र की वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का अभिलेख/प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट–1 व पार्ट–2 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकन हेतु अपलोड कर दिया गया है।
(c)	In reply to point no. 11 of EDS dated 13-08-2020. Still complete 3.238 ha area mentioned as reserve forest in DFO's SIR State Government may submit clarification and submit correct SIR.	उक्त आपत्ति के क्रम में सम्बन्धित परियोजना की स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि यथा **आरक्षित वन भूमि 2.013 है0 तथा सिविल भूमि 1.225 है0 कुल 3.238 है0 वन भूमि** अंकित करते हुए संशोधित SIR परिवेश पोर्टल के ऑनलाईन पार्ट–2 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गयी है।
(d)	In reply to point no. 16 of EDS dated 13-08-2020, submitted that 2450.5851 ha area diverted but the same still not corrected at Para 14 in part II. State Government may fill the same in District profile at Para 14 in part II.	इस आपत्ति के क्रम में कुल हस्तान्तरित वन भूमि यथा 2450.5851 है0 को परिवेरश पोर्टल के पार्ट–2 के पैरा–14 में अपडेट कर दिया गया है।
(e)	In reply to point no. 17 of EDS dated 13-08-2020, still no comments made by DFO against Para 5.3 in his SIR. State Government may provide the SIR of DFO with his comments against Para 5.3.	इस आपत्ति के क्रम में स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) में उक्त पैरा 5.3 के सापेक्ष टिप्पणी अंकित करते हुए तत्सम्बन्धित अभिलेख को परिवेश पोर्टल के पार्ट–2 में अतिरिक्त सूचना के रूप में अवलोकनार्थ अपलोड किया गया है।
(iv)	In reply to point no. 4 details of trees now uploaded in cm but the details mentioned at Para 4 in part II are not matching with details submitted in tree enumeration list. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/ document.	उक्त आपत्ति के क्रम में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु चिन्हित भूमि यथा आरक्षित वन नाहीं कक्ष सं0–2, नाहीं कक्ष सं0–3 व नाहीं कक्ष सं0–4 में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के **211 वृक्ष** तथा ग्राम समाज (Civil Land) पर विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के **179 वृक्ष** बाधक हैं। **अर्थात आरक्षित वन भूमि पर 211 वृक्ष व सिविल भूमि पर 179 वृक्ष कुल 390 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें पार्ट–II के पैरा–4 में दर्शाया गया है।** शेष 134 वृक्ष नाप भूमि (Private Land) पर विद्यमान हैं, जिनको परिवेश पोर्टल के पार्ट–II में अंकित नहीं किया गया है।
(v)	In reply to point no. 5 Nodal officer submitted	उक्त प्रस्ताव के क्रम में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त,

	that revised inspection report of CF correcting number of trees has been uploaded but the same is not found uploaded online. State Government may submit clarification and submit/upload the revised inspection report of CF mentioning correct number of trees.	उत्तराखण्ड, देहरादून की स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) परिवेश पोर्टल के पार्ट–2 में अतिरिक्त सूचना के रूप के रूप में अवलोकनार्थ अपलोड कर दी गयी है।

अतः उक्तानुसार आख्या मय अभिलेखों के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक :859 (1)/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)

office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

Phone/fax No.: 0135-2430660
E-mail: eetdrksh@rediffmail.com

पत्रांक.......402.... /1सी0(कैम्प) दिनांक. 31 /08/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वनप्रभाग
देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला के अन्र्तगत संनगांव से नाहीकलां तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.238 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी0/यू0 सी0पी0/06/88/20/एफ0सी0/2531 दि0 26.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दि0 05.04.2021 को वनभूमि प्रकरण पर चर्चा की गई तथा उक्त बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत है:–

1	In reply to point no. 1. Following observations noticed in respect of muck disposal:-	प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु 3.238 है0 वन भूमि तथा 4.463 है0 नाप भूमि पड़ रही है संशोधित मक डिस्पोजल हेतु 1.925 है0 नाप भूमि का चयन किया गया है जिसे परिवेश पोंटल में अपलोड कर दिया गया है।
(a)	Nodal Officer submitted that complete 4-463 ha area in Non-forest Land selected for muck disposal which does not appear correct because as per bar chart some alignment of road is also proposed in non forest area. Further as per muck disposal plan 1.7549 ha area selected for muck disposal. State Government may submit details and clarification in this regard.	
(b)	Swell factor still not including in much disposal plan. State Government may include the swell factor in the muck disposal plan.	संशोधित 1.925 है0 नाप भूमि में मक डिस्पोजल किया जायेगा स्वैल फैक्टर 40 प्रतिशत को मक डिस्पोजल प्लान में सम्मिलित कर दिया गया है।
©	It is seen that 7 muck dumping site selected in Non- forest Land and the area & carrying capacity of all seven sites are same i.e. 0.2507 ha & 13790 cum which is highly impobable. State Government may submit clarification in this regard.	संशोधित 4 मक डम्पिंग साईड को नाप भूमि में लिया गया है जिनका क्षेत्रफल 0.490 है0, 0. 470 है0 व 0.490 है0 तथा 0.475 है0 है।
(d)	State Government may Mark the location of all muck dumping site in KML file and upload the same at para C (ii) (b) in part I online.	मक डम्पिंग साईड की लोकेशन को के0एम0एल0 फाईल पर दर्शा दिया गया है।
(e)	State government is requested to submit detailed muck disposal plan based on scientific Study duly authenticated by DFO.	संशोधित मक डिस्पोजल प्लान को वैज्ञानिक अध्ययन पर तैयार कर परिवेश पोंटल पर अपलोड कर दिया गया है।
(ii)	In reply to point no. 2. State Government is again requested to restrict the road up to point no. 35.	प्रस्तावित मोटर मार्ग पूर्व निर्मित सूर्यधार संनगांव मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से प्रारम्भ होकर ग्राम संनगांव को जोड़ते हुये सिंधवाल गांव नाहींकलां, बड़कोट, कोटला तोक को जोड़ता है। डिजिटल मेप के कम सं0 35 से आगे प्रस्तावित संरेखण नाहीकला, कोटला तोक तथा बड़कोट तोक तक जा रहा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 84 है। उक्त ग्राम, ग्राम पंचायत नाहीकलां के अन्तर्गत आता है, नाहीकलां ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय व

		प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र भी है जिस पर आवागमन होना बहुत जरुरी है इस गांव के लिये अन्य कोई विकल्प नहीं है। कम सं0 35 से आगे 52 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। कोटला तोक व बड़कोट तोक के लोग मार्ग निर्माण हो जाने से ग्राम पंचायत नाहींकलां तक अपने बच्चों शिक्षा व चिकित्सा के लिये सुगमता से पंहुच पायेंगे। प्रतिवेदन संलग्न।
(iii)	In reply to point no. 3 Following observations are notices:-	
(a)	In reply to point no. 4 of EDS dated 13-08-2020. It is submitted That no alternate possible and more tree affecting in alternated. State Government is again requested to upload the details of same at para D (ii) a in Part I and sumit the comparative chart duly authenticated by DFO.	मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक संरेखणो पर विचार किया गया वैकल्पिक संरेखणो पर अत्यधिक वन भूमि व अधिक से अधिक वृक्षों का पातन होना निहित था जिससे स्थानीय जनता द्वारा भी उक्त वैकल्पिक संरेखणों पर आकोश वयक्त किया गया है इसलिए प्रस्तावित संरेखणों को ही उपयुक्त पाया गया है। प्रमाण–पत्र संलग्न।
(b)	In reply to point no. 10 of EDS dated 13-08-2020. Road distance found uploaded instead of aerial distance. State Government may uploaded the arieal distance certificate.	हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र संलग्न कर परिवेश पोंटल पर अपलोड कर दिया गया है।
©	In reply to point no. 11 of EDS dated 13-08-2020. Still complete 3.238 ha area mentioned as reserve forest in DFO's SIR State Government may submit clarification and submit correct SIR.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा सूचना दी जानी है।
(d)	In reply to point no. 16 of EDS dated 13-08-2020, submitted that 2450.5851 ha area diverted but the same still not corrected at para 14 in part II. State Government may fill the same in District profile at para 14 in part II.	–तदैव–
(e)	In reply to point no. 17 of EDS dated 13-08-2020, still no comments made by DFO against para 5.3 in his SIR. State Government may provide the SIR of DFO with his comments against para 5.3.	–तदैव–
(iv)	In reply to point no. 4 details of trees now uploaded in cm but the details mentioned at para 4 in part II are not matching with details submitted in tree enumeration list. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/ document.	–तदैव–
(v)	In reply to point no. 5 Nodal officer submitted that revised inspection report of CF correcting number of trees has been uploaded but the same is not found uploaded online. State Government may submit clarification and submit/upload the revised inspection report of CF mentioning correct number of trees.	–तदैव–

31.08.21

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पंत्राक........................ /1सी0(कैम्प)　　　　दिनांक. / /2021

प्रतिलिपिः–

1. सहायक अभियन्ता(पंचम) अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश